


03/12/19 पत्रावली पेश हुई। जहाँ अधिकांश
शुभिम शुभिम ने उपस्थित होकर
अस्थाई निवेशाज्ञा को खारिज
करवाने हेतु शर्तनाम प्रस्तुत
किया जिसमें शामिल निम्न
विषय शामिल किया गया। पत्रावली वास्तु
आदेश दिनांक 06/12/19 को पेश
हो।

06/12/19 पत्रावली पेश हुई। जहाँ पीठासीन अधिकारी
में में व्यस्त/अवकाश पर होने से
को ईशुबा होकर दिनांक 10/12/2019
को पेश हो।

10/12/19 पत्रावली पेश हुई। शर्तनाम अधिकांश
द्वारा राजस्व विविध शर्तनाम प्रत अन्तर्गत
धारा 212 राजस्वगत व्यक्तकारी आधिकारिक
प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की
ग्राम भेद। के द्वारा नं. 85प/112
85प/113, व 85प/118 में शर्तनाम के
उपभोग व उपभोग में अशर्तनाम द्वारा
सेव्या। स 3 किली प्रकार से 2 (90
अन्दाजी न करे, लैन्चान न करे आदि
से अशर्तनाम को अस्थाई निवेशाज्ञा
से पाबन्द करावे।



पुकरण दर्ज रजिस्ट्रर कर अधीनगिणों
को वाद रात आरागी गुण नेव डी ४
ख. नं. ४५५/११२, ४५५/११३ व ४५५/११४ में
अगामी तारीख पैसी तक राजल रेकड
की अथा स्थिति बनाये रखे एवं क्वीप
दस्तावेज नही करे, अन्तरेम अस्था
निशेधाज्ञा व पाबन्द किया गया।

प्राथमिक आधिकारता द्वारा प्राथमिक पत्र
उत्तुत कर विवेदन किया गया की
प्राथमिक आधिकारता द्वारा ही प्राथमिक पत्र
श्रीपान के न्यायालय में उत्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा अस्था निशेधाज्ञा जारी
कर रखी है जो प्राथमिक आधिकारता
द्वारा ही ली गई है।

उक्त पुकरण को प्राथमिक अधीन नहीं चलाना
चाहते हैं। तथा विद्वा कृता-पास्ते है
अस्था निशेधाज्ञा को खारीज करमाण
व पुकरण विद्वा खारीज करण के आदेश
परमाणे।

अन्तर्गत आधिकारता उत्तुत प्राथमिक
पत्र प्रकार विद्वा कृते का रकीपाए किया
जाता है तथा पूर्व में जारी २२-२-१९ के
आदेश को खारीज किया जाय है।
प्राथमिक अर्थों आधिकारता उत्तुत प्राथमिक पत्र
अन्तर्गत द्वारा २१२ श. की आ खारीज किया
जाता है। पत्रावली फंसल जुताए होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

